

राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83)
के अन्तर्गत दायर अपील संख्या 19/2017-18

M/s Goodwill Advance Construction Co. Pvt. Ptd., Kota

बनाम

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़

निर्णय

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन उत्तर, हनुमानगढ़ के द्वारा NIT No. 08/2017-18 आमन्त्रित की गई। जिसमें मूल्यांकन समिति के आदेश क्रमांक 15760 दिनांक 22.01.2018 से फर्म को अयोग्य घोषित करने पर राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत M/s Goodwill Advance Construction Co. Pvt. Ptd., Kota द्वारा अपील की गई। सुनवाई दिनांक 12.02.2018 को आयोजित की गई।

निविदा प्रपत्र के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर है। अपील प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन के समक्ष प्रथम अपील अधिकारी मानते हुए की गई है। अतः अपील की सुनवाई का अधिकार नहीं होने की स्थिति में अपील निरस्त की जाती है।

दिनांक 12.02.2018



(शिखर अग्रवाल)
प्रमुख शासन सचिव,
जल संसाधन, राजस्थान, जयपुर